संख्या-70 /2025/514 / 001-23-4099(099)/152/2024

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक 19 फरवरी**, 2025

विषय:- जनपद आजमगढ़ में बहराईच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग (1.600 600 किमी0) एव करतालपुर नरौली मार्ग (4.200 कि0मी0) (बाबा भंवरनाथ मन्दिर) का 04 लेन चौड़ाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र संख्या-460 नि0/134-01नि0/2024-25, दिनांक 22.08.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ मार्गो के चौड़ीकरण सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत जनपद आजगढ़ में बहराईच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग (1.600 किमी०) एवं करतालपुर नरौली मार्ग (4.200 कि0मी0) (बाबा भंवरनाथ मन्दिर) का 04 लेन चौड़ाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य की व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 8896.87 लाख (रू० अटठासी करोड़ छियानबे लाख सत्तासी हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत लागत के सापेक्ष रू0 3113.90 लाख (रू० इकतीस करोड तेरह लाख नब्बे हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रं0 सं0	जनपद	कार्य का नाम	लागत	प्रस्तावित धनावंटन
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	आजमगढ़ नि0ख0-2	बहराइच फैजाबाद आजमगढ मार्ग (1.600 कि0मी0) एवं करतालपुर नरौली मार्ग(4.200	8896.87	3113.90

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		कि0मी0) (बाबा भॅवरनाथ मन्दिर) का 04 लेन चौडाई में चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (कुल लम्बाई 5.800 किमी0) के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य ।		
		योग	8896.87	3113.90

(रू0 इकतीस करोड तेरह लाख नब्बे हजार मात्र)

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021510/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार स्वीकृति की जा रही प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(3) प्रयोजनान्तोर्गत ओवर हेड विद्युत लाइन की शिफिटंग हेतु आकलित/अनुमोदित लागत रू0 173.59 लाख एवं वन विभाग हेतु रू0 175.80 लाख से सम्बन्धित कार्यों का विभाग द्वारा स्वयं सत्यापन करते हुये न्यूनतम आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर शिफिटंग का कार्य सुनिश्चित किया जाय।

(4) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति (2.256हे0) हेतु लागत रू0 4459.51 लाख का प्राविधान किया गया है। विभाग द्वारा समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुये न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन भूमि अध्याप्ति/अधिग्रहण सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत मार्ग की लेपित चौड़ाई एवं फारमेशन चौड़ाई इत्यादि तथा पक्के स्ट्रक्बर्स यथा-पुल, पुलिया, ड्रेन इत्यादि का निर्माण, आई०आर०सी० लोक निर्माण विभाग के सुसंगत मानकों के अनुसार कराया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(6) प्रायोजनान्तार्गत कार्य में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(7) प्रायोजना में 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित है। विभाग स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो। जी०एस०टी० की धनराशि वास्तविकता के आधार पर देय होगी।

(8) प्रायोजनान्तार्गत कार्य में पुल पुलियों का इक्सटेंशन तथा नाला-नाली आदि का निर्माण का प्राविधान किया गया है। भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण की सम्भायवना के दृष्टिगत मार्ग के संरेखण में आने वाले पक्के स्ट्रक्वगर (पुल पुलिया नाली इत्यादि) का निर्माण आई०आर०सी०/विभागीय मानकों में पूर्व निर्धारित फारमेशन विडय (चौड़ाई) के अनुसार ही कराया जाय।

(9) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भकिया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत कार्य की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्यत्र न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(11) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रयोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य मद के लिये है, उसी कार्य मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(14) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-ए-2-23/दस-2011-17 (4)/75, दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं०-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चत की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्त लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्रतियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in

(15) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(16) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

(17) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024. दिनांक 04.03.2024 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19.06.2024 में निहित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी0-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था / शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) प्रश्नगत परियोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जायेगा।

(20) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 31,13,90,000 (रुपये इकतीस करोड़ तेरह लाख नब्बे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 लेखा शीर्षक 5054043371100 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नये कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-570-X-2024-25-दिनांक: 27-12-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

2-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

3-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

4- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

5- विशेष सचिव, धर्मार्थ कार्य अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

6-सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

7- मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
11-सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12-वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
13-राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14-अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15-लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ0प्र0 शासन।
16-नोडल अधिकारी(आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम),लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।